



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 12,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 201/2017 धारा-342, 376,506 भा0द0सं0 व 4 पोक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जगदीश यादव पुत्र रंजीत यादव निवासी मिहुना ,थाना सुमेरपुर ,जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹12,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी  
एडीजीसी रुद्र प्रताप  
सिंह



विवेचक-  
उ0नि0 संजय वर्मा



पैरोकार- थाना  
सुमेरपुर  
का0 जगत सिंह